न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम जाट निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी	नाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 132 / 2022 GCMS No.2022/ 260

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.07.2022	वादी ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम जाट निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022 " के दौरान एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम **टोरडा** पटवार मण्डल **रूपपुरा टोरडा** के खाता 221 एवं जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 ग्राम **पनवाड़ी** पटवार मण्डल **रूपपुरा टोरडा** के खाता 110 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि नानुराम पुत्र चन्द्राराम जाट सा. कुचामन खातेदार दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम जाट सा. कुचामनसिटी जिला नागौर है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा शपथ–पत्र स्टाम्प पेपर पर, राशन कार्ड 111300700430, जन आधार कार्ड रसीद संख्या 1420-19DD-27184, Bank A/C Number 54980100004351 Bank of baroda, आधार कार्ड **771052060494**, Pan no. EXZPP1241J , Driving Lic RJ37 20200000922, Pass port F0352666, की छाया प्रति प्रस्तुत की है। प्रकरण में वादी ओमप्रकाश की माता किशनी देवी पत्नि स्व. चन्द्राराम जाट एवं भाई रतनाराम के बयान दर्ज किये गय, जिन्होने अपने बयानो में कथन किया है कि चन्द्राराम की मृत्यु होने पर उनका विरासत नामान्तकरण दर्ज करते समय नानुराम पुत्र स्व. चन्द्राराम जाट गलत रूप से दर्ज हुआ है जबकि वास्तविक नाम ओमप्रकाश ही है तथा इसी प्रकार उपरोक्त राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना है। इस संबंध में हल्का पटवारी **रूपपुरा** भू.अ.नि. **कुचामनसिटी** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्व किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात पटवारी हल्का, नि.भू.अ. तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है। अतः वादीया का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	223-225